राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.3(30)आ.प्र.एवं सहा./स्था./एलडीसी–24/2025/ जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षरानुसार

–::कार्यालय आदेश::–

प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान के पत्र प.1(2)प्रसु/अनु–3 2025–08916 दिनांक 19.09.2025 एवं 23.09.2025 के क्रम में कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2024 में अंतिम रूप से चयनित (गैर अनुसूचित क्षेत्र) निम्नांकित अभ्यार्थियो को अस्थाई आधार पर प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के क्रम में राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम–1999 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक पं. 15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– प्रतिमाह, तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5, पर कनिष्ठ सहायक के पद हेतु निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

S.No.	Name	F.Name	Rank	Roll No.	Gender	DOB	Cat.
01	Sandeep Kagat	Prema Ram	754	402917	Male	05.07.2001	OBC
02	Devkant Upman	Dinesh Chand Sharma	1872	409580	Male	21.07.1995	EWS

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है–

1. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यालय आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. परीवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
3. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
4. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.07 20:14:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.
18117837

eSign 1.0

6. उक्त संबंध में यदि इस नियुक्ति आज्ञा के जारी होने के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्तिध्त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में, कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
7. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
8. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(5) डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
9. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 12 (6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1 (2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13 (1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (फिक्स्ड रिमुनरेशन) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा
10. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। उक्त आधार पर अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
11. उक्त नियुक्ति चरित्र स्व–सत्यापन के संदर्भ में मूल शपथ पत्र, ऑनलाईन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं मूल स्व–घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रोविजनल दी जा रही है।
12. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
13. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
14. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस /फर्जी/मिथ्या पाये जाते है तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.07 20:14:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18117837

eSign 1.0

15. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(शैफाली कुशवाहा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोषालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. लेखा (भुगतान) शाखा, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री संदीप कागट, कागटो की ढाणी, शिवनगर, बोरावर, नागौर।
7. श्री देवकान्त उपमन, ए–115, नारायण विहार, बुनियाद स्कूल के पास मे, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.07 20:14:13 IST
Reason: Approved